Invention of a 360 Degree View Camera

*167. SHRI V. RAJESHWAR RAO: DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that an Indian scientist has invented a 360 degree view camera at the Columbia University;

(b) whether this Prof. Shree Nayar who has made this invention continues to hold Indian citizenship; and

(c) how can this invention be put to use for the Indian Public?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Prof. Shree K. Nayar of the Department of Computer Science, Columbia University, New York has been involved in the development of a 360 degree view camera.

(b) Yes, Sir.

(c) The 360 degree view camera can provide a spherical view. The possible uses of such a system are towards video teleconferencing, security & monitoring, surveillance, entertainment, robot navigation, remote exploration etc. Indian scientists are also aware of wide angle cameras and these are already in use in operational aircrafts and space platform based remote sensors such as INSAT — meterological payload.

सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास और उनके लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने संबंधी योजनाएं

*168. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास और उनके लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने संबंधी योजनाएं चलायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं में कितने सफाई कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) ब्यौरे अनुबंध-2 में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**।

विवरण-I

वैकल्पिक सम्मानजनक व्यवसायों में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार 1991-92 से सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:—

(1) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों तथा वैकल्पिक ट्रेडों व व्यवसायों के लिए उनकी अभिरूचि की पहचान करने के लिए त्वरित अध्ययन;

(2) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों का प्रशिक्षण; तथा

(3) एक निर्धारित वित्त पोषण पैटर्न के माध्यम से सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास।

प्रशिक्षण की सम्पूर्ण लागत का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास का प्रयास प्रति परियोजना 10,000 रु० की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक लाभग्राही के लिए 50,000 रु० तक की लागत की परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसे 50 प्रतिशत की सब्सिडी के वित्तीय पैकेज, परियोजना लागत का 15 प्रतिशत सीमान्त धन ऋण (एम० एम० एल०) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 49:51 के अनुपात में बांटा जाता है तथा शेष बैंक ऋण के माध्यम से।

पुनर्वास के कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। चूंकि यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका इसलिए इस योजना के कार्यान्वयन कार्य का विस्तार नौवीं योजना के लिए किया गया है।